संख्याः 636 /XIII-1/2018–1(03)2002

प्रेषक,

डा0 राम बिलास यादव,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड, शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांकः 13 अप्रैल, 2018

विषयः– राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2018 में लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–13015/03/2016–क्रेडिट–II दिनाक 23 फरवरी, 2016 द्वारा प्रस्तावित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) को प्रदेश में खरीफ 2018 मौसम में लागू किये जाने सम्बन्धी दिशा–निर्देशों एवं व्यवस्थाओं के अनुक्रम में दिनांक 7–03–2018 को आयोजित राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार फसल चावल व मण्डुवा के लिये कृषि निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की गई संस्तुति पत्रांक–कृ.नि./9056/कृ.सां./फसल बीमा/2018 दिनांक 08 मार्च, 2018 के आधार पर महामहिम राज्यपाल महोदय उक्त योजना को खरीफ 2018 मौसम में प्रदेश के समस्त जनपदों में भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत फसल चावल को प्रदेश के समस्त जनपदों व मण्डुवा को प्रदेश के पर्वतीय जनपदों में गढ़वाल मण्डल हेतु आई.सी.आई.सी.आई.लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि. तथा कुमायूं मण्डल हेतु एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इण्डिया लि. के माध्यम से लागू किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। प्रीमियम दर, क्षति का निर्धारण तथा विस्तृत विवरण दिशा–निर्देश संलग्नक–1 में तथा संसूचित क्षेत्रों की सूची परिशिष्ट–1व 2 में इंगित किया गया है।

2. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है तथा प्रदेश में खरीफ, 2016 से चलायी जा रही है। दिनांक 07.03.2018 को आयोजित राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति की बैठक में शासन स्तर पर की गई समीक्षा में पाया गया कि योजना की प्रगति सन्तोषजनक नहीं है तथा आपके स्तर पर निम्न बिन्दुओं पर लगातार समीक्षा करने की आवश्यकता है–

1. प्रदेश में लगभग 4.54 लाख के.सी.सी. एक्टिव हैं जबकि योजनान्तर्गत वर्ष 2017–18 में 1.69 लाख (खरीफ 2017 में 1.06 लाख तथा रबी 2017–18 में 0.63 लाख) कृषकों का आच्छादन हुआ है, जो कि संतोषजनक नहीं है। ऋणी कृषकों का शत प्रतिशत आच्छादन सुनिश्चित किया जाना है। इस संबंध में जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति तथा जिला स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा योजना की गहन समीक्षा की जाये।
2. योजना के अन्तर्गत पांच प्रकार से क्षतिपूर्ति निर्धारण करने की व्यवस्था है जबकि पूर्व मौसमों में सामान्यतः दो व्यवस्थाओं के अन्तर्गत ही क्षतिपूर्ति निर्धारित एवं वितरित की गयी हैं। क्षतिपूर्ति निर्धारण तथा योजना के कुशल क्रियान्वयन में जिला प्रशासन तथा जिला कृषि विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है अतः पांचों प्रकार से क्षतिपूर्ति निर्धारण प्रक्रियाओं का किसानों में व्यापक प्रचार–प्रसार किये जाने की आवश्यकता है जिससे अधिक से अधिक कृषक योजना से आच्छादित एवं लाभान्वित हो सकें।

अतः आप योजना की प्रत्येक पक्ष विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिक से अधिक कृषकों का आच्छादन करना सुनिश्चित करें तथा पाक्षिक रिर्पोट उत्तराखण्ड शासन एवं कृषि निदेशक को उपलब्ध करायें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(डा0 राम बिलास यादव)
अपर सचिव।

1-Fasal Bima 2018

संख्याः 636 **/XIII-1/2018–1(3) 2002तदिनांकित ।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1 सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव, क्रे डिट–II, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली ।
2 निदेशक/ सहायक निदेशक, क्रे डिट–II, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3 अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4 सचिव, वित्त/राजस्व/सहकारिता उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
5 आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड।
6 निबंधक सहकारी समितियाँ, उत्तराखण्ड।
7 निदेशक उद्यान/मण्डी परिषद, उत्तराखण्ड।
8 समस्त मुख्य विकास अधिकारी/ समस्त मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9 अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/संयुक्त कृषि निदेशक, कुमांऊ मण्डल, हल्द्वानी ।
10 समस्त अग्रणी बैंक प्रबंधक/ समस्त सहायक निबंधक, सहकारी समितियाँ, उत्तराखण्ड।
11 समस्त सचिव/महाप्रबंधक, जिला सहकारी बैंक, उत्तराखण्ड।
12 अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तेहरवीं मंजिल, अम्बाद्वीप बिल्डिंग, कस्तूरबा गॉधी मार्ग, नई दिल्ली ।
13 क्षेत्रीय प्रबंधक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, 56 राजपुर रोड़, क्लासिक होटल के पीछे, देहरादून।
14 क्षेत्रीय प्रबंधक, आई.सी.आई.सी.आई.लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि., द्वितीय तल, 167/1, मोहल्ला आर्य नगर, गुरूकुल, कन्या स्कूल, राजपुर रोड़ देहरादून।
15 महाप्रबन्धक, रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया, क्षेत्रीय कार्यालय, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, राजपुर रोड़, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि समय–समय पर वित्तीय संस्थाओं को योजना सम्बन्धी दिशा निर्देश जारी कराने का कष्ट करें ।
16 अध्यक्ष, उत्तरांचल ग्रामीण बैंक, देहरादून।
17 उप महानिदेशक, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, भारत सरकार, डिफेंस कालोनी, सी–15, सेक्टर–1, देहरादून।
18 मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, होटल सनराईज, राजपुर रोड़, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि समय–समय पर योजना की समीक्षा करने का कष्ट करें साथ ही साथ नाबार्ड के जिला विकास प्रबन्धकों को योजना की क्रियाशीलता के लिए निर्देश जारी करें।
19 सहायक महाप्रबन्धक/संयोजक, उत्तराखण्ड राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, जोनल कार्यालय, भारतीय स्टेट बैंक, 1–न्यू कैंट रोड़, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि इस सम्बन्ध में सभी बैंको को रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एवं नाबार्ड के दिशार्निदेशों के साथ पत्र जारी करते हुए योजना की समय–समय पर समीक्षा करने का कष्ट करें ।
20 समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक/बैंक ऑफ बड़ौदा/ पंजाव नैशनल बैंक, केनरा बैंक, /इलाहाबाद बैंक /पंजाब एण्ड सिंध बैंक /ओरियण्टल बैंक ऑफ कामर्स, उत्तराखण्ड।
21 समस्त बैंक नियंत्रक/समस्त वित्तीय संस्थाएं, उत्तराखण्ड।
22 निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत संसूचित क्षेत्रों की सूची, प्रीमियम दर तथा अन्य विवरण

प्रदेश में दो कलस्टर यथा गढ़वाल मण्डल तथा कुमाऊं मण्डल बनाये गये हैं। गढ़वाल मण्डल के कलस्टर में योजना का संचालन आई.सी.आई.सी.आई.लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि तथा कुमाऊं मण्डल के कलस्टर में योजना का संचालन एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लि. के माध्यम से किया जायेगा। किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.) द्वारा दिये गये ऋण भी ऋण वित्तमान के अनुसार अनिवार्य रूप से योजना के प्राविधान के अनुसार शामिल है। सभी वित्तीय संस्थानों का दायित्व है कि संसूचित क्षेत्रों (Notified Areas) में संसूचित फसल के लिए ऋण वित्तमान के अनुसार अनिवार्य रूप से पात्र कृषकों का बीमा करें। संसूचित क्षेत्रों (Notified Areas) में धान एवं मण्डुवा की फसलों को उगाने वाले बटाईदारों, काश्तकारों सहित सभी किसान जो संसूचित क्षेत्र में संसूचित फसल चावल व मण्डुवा उगा रहे हैं और उन्हें वित्तीय संस्थानों जैसे सहकारी समितियों, व्यवसायिक, क्षेत्रीय ग्रामीण एवं सहकारी बैंकों से मौसमी कृषि प्रचालन ऋण हेतु ऋण की सीमा दिनांक 31/7/2018 तक स्वीकृत की गयी हो तथा उन्होने 01 अप्रैल, 2018 से 31 जुलाई, 2018 तक फसल चावल एवं मण्डुवा के लिये ऋण लिया हो, यथा ऋणी किसान अनिवार्य आधार पर आच्छादित किये जायेगें। अऋणी कृषकों के लिए वित्तीय संस्थानों/इंश्योरेंस कम्पनी के अधिकृत बीमा इन्टरमिडियरीज़/सीधे तौर पर बीमा कम्पनी के कार्यालय/संबंधित क्षेत्र में स्थित कॉमन सर्विस सेन्टर को प्रस्ताव पत्र प्रस्तुत करने कि अंतिम तिथि 31/7/2018 तक स्वैच्छिक आधार पर सम्मिलित माने जायेंगे।

(ग) बीमित राशिः ऋणी और गैर ऋणी कृषकों के लिये बीमा राशि प्रति हेक्टेयर संसूचित फसल के जिलेवार ऋण वित्तमान के अनुसार होगी। ऋणी कृषकों के लिये बीमित राशि ऋण वित्तमान को संसूचित फसल के क्षेत्रफल से गुणा करके निर्धारित किया जायेगा तथा गैर ऋणी कृषकों की बीमित राशि सम्बन्धित कृषक द्वारा प्रस्तावित क्षेत्रफल को ऋण वित्तमान से गुणा करके बीमित राशि निकालकर आच्छादन किया जायेगा। इस श्रेणी के कृषक योजना में सम्मिलित होने के लिए स्वप्रमाणित भू–अभिलेख के साथ बीमा प्रस्ताव पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रपत्र के साथ संसूचित फसल का बीमा आवरण प्राप्त करेगें। बीमा कम्पनी स्वप्रमाणित भू–अभिलेख का मिलान देवभूमि उत्तराखण्ड के आनलाइन रिकार्डस ऑफ राइट्स से सत्यापित कर सकती है।

2. खरीफ 2018 में योजना जिन क्षेत्रों में संचालित की जायेगी से सम्बन्धित संसूचित क्षेत्रों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट–1 तथा परिशिष्ट–2 में दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसल चावल (मैदानी) के लिए क्षतिपूर्ति स्तर, बीमांकिक प्रीमियम दर, कृषकों द्वारा देय प्रीमियम, प्रीमियम सब्सिडी में राज्यांश एवं केन्द्रांश तालिका 1 में एवं पर्वतीय क्षेत्रों हेतु फसल चावल (पर्वतीय) व मण्डुवा के लिए क्षतिपूर्ति स्तर, बीमांकिक प्रीमियम दर, कृषकों द्वारा देय प्रीमियम, प्रीमियम सब्सिडी में राज्यांश एवं केन्द्रांश तालिका 2 में निम्नानुसार दिये गये हैं:

तालिका–1

फसल– चावल (मैदानी) **इण्डेमिनिटी स्तर–90%**

क्र. सं.	जनपद	बीमांकिक प्रीमियम दर प्रतिशत में	कृषकों द्वारा देय प्रीमियम दर प्रतिशत में	प्रीमियम सब्सिडी प्रतिशत में		बीमित राशि (रूपये/हे.)
				केन्द्रांश	राज्यांश	
गढ़वाल मण्डल क्लस्टर						
1	देहरादून(मै0)	2.730	2.000	0.365	0.365	68500.00
2	हरिद्वार	4.270	2.000	1.135	1.135	85800.00
कुमायूं मण्डल क्लस्टर						
3	नैनीताल(मै0)	2.500	2.000	0.250	0.250	72125.00
4	ऊधमसिंहनगर	0.980	0.980	-----	-----	79000.00

तालिका–2

फसल– चावल (पर्वतीय)

इण्डेमिनिटी स्तर–90%

क्र. सं.	जनपद	बीमांकिक प्रीमियम दर प्रतिशत में	कृषकों द्वारा देय प्रीमियम दर प्रतिशत में	प्रीमियम सब्सिडी प्रतिशत में		बीमित राशि (रूपये/हे.)
				केन्द्रांश	राज्यांश	
	गढ़वाल मण्डल क्लस्टर					
1	चमोली	1.090	1.090	----	----	40913.00
2	देहरादून(पर्व)	1.510	1.510	----	----	68500.00
3	पौड़ी गढ़वाल	1.580	1.580	----	----	38000.00
4	रूद्रप्रयाग	1.230	1.230	----	----	37000.00
5	टिहरी गढ़वाल	2.190	2.000	0.095	0.095	38030.00
6	उत्तरकाशी	2.260	2.000	0.130	0.130	76103.00
	कुमायूं मण्डल क्लस्टर					
7	अल्मोड़ा	1.050	1.050	----	----	45375.00
8	बागेश्वर	0.500	0.500	----	----	41675.00
9	चम्पावत	1.100	1.100	----	----	50563.00
10	नैनीताल(पर्व0)	1.250	1.250	----	----	72125.00
11	पिथौरागढ़	0.900	0.900	----	----	42777.00

फसल– मण्डुवा

इण्डेमिनिटी स्तर–90%

क्र. सं.	जनपद	बीमांकिक प्रीमियम दर प्रतिशत में	कृषकों द्वारा देय प्रीमियम दर प्रतिशत में	प्रीमियम सब्सिडी प्रतिशत में		बीमित राशि (रूपये/हे.)
				केन्द्रांश	राज्यांश	
	गढ़वाल मण्डल क्लस्टर					
1	चमोली	0.180	0.180	----	----	20000.00
2	देहरादून(पर्व)	1.980	1.980	----	----	28200.00
3	पौड़ी गढ़वाल	1.290	1.290	----	----	25000.00
4	रूद्रप्रयाग	2.180	2.000	0.090	0.090	20000.00
5	टिहरी गढ़वाल	1.920	1.920	----	----	38030.00
6	उत्तरकाशी	1.980	1.980	----	----	37163.00
	कुमायूं मण्डल क्लस्टर					
7	अल्मोड़ा	1.000	1.000	----	----	22138.00
8	बागेश्वर	0.600	0.600	----	----	19700.00
9	चम्पावत	1.800	1.800	----	----	40335.00
10	नैनीताल(पर्व0)	1.250	1.250	----	----	41625.00
11	पिथौरागढ़	1.000	1.000	----	----	44285.00

2. प्रस्तावों तथा बीमा शुल्कों (प्रीमियम) का एकत्रीकरण एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा घोषणा पत्रों का प्रेषण:
भारत सरकार के पत्रांक 11018/01/2016 क्रेडिट II दिनांक 20 मार्च 2017 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार जिला सहकारी बैंक को छोड़कर सभी वित्तीय संस्थाएं बीमा शुल्क (प्रीमियम की धनराशि) केवल इलेक्ट्रानिक मोड के माध्यम से ही क्रियान्वयक अभिकरण (एजेंसी) के खाते में निर्धारित तिथि तक RTGS/NEFT के माध्यम से हस्तांतरित/ट्रांसफर करेगी। जिला सहकारी बैंक के परिपेक्ष्य में जिला स्तर पर स्थापित प्रधान कार्यालय के माध्यम से फसल बीमा के आवश्यक प्रपत्र एवं प्रीमियम डी.डी. क्रियान्वयक अभिकरण को निर्धारित तिथि

के भीतर प्रेषित किये जायेंगे। घोषणा पत्र प्रीमियम डी.डी. एवं अन्य आवश्यक प्रपत्र क्रियान्वयक अभिकरण को प्राप्त होने की अंतिम तिथि ऋणी तथा गैर ऋणी कृषकों के लिए 15 अगस्त 2018 है। वित्तीय संस्थाऐं समस्त ऋणी तथा अऋणी आच्छादित कृषकों की सूची जिसमें कृषक का नाम, पिता/पति का नाम, ग्राम, न्यायपंचायत, तहसील, बैंक खाता संख्या, आधार नम्बर, कृषक श्रेणी–लघु एवं सीमान्त/अन्य, महिला/पुरूष, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य, बीमित राशि एवं देय प्रीमियम का विवरण निश्चित प्रपत्र में घोषणा पत्र के साथ बीमा कम्पनी को हार्ड एव सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध करायेगीं तथा कृषकवार विवरण फार्मर पोर्टल पर अपलोड करेंगी। RTGS/NEFT करने के लिए गढ़वाल मण्डल में क्रियान्वित अभिकरण आई. सी.आई.सी.आई.लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड तथा कुमायूं मण्डल में क्रियान्वित अभिकरण एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लि. (ए.आई.सी.) के RTGS/NEFT की सूचना निम्नानुसार है–

क्रियान्वयक अभिकरण	बैंक का नाम	बैंक अकाउंट नम्बर तथा IFSC कोड	पता
1. एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लि. (ए.आई.सी.)	एक्सिस बैंक लिमिटेड	093010200004992 IFSC कोड UTIB0000093	राजपुर रोड, देहरादून
2. आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक	000405074649 IFSC कोड ICIC0000004	मुम्बई नारीमन पॉइन्ट, फ्री प्रेस हाउस, 215 नारीमन मुम्बई 400021

क्रियान्वयक अभिकरण से जानकारी/पत्राचार हेतु सूचना निम्नानुसार है:–

क्रियान्वयक अभिकरण	पत्राचार का पता	मोबाइल नम्बर/ फैक्स नम्बर	ई.मेल
1. एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लि. (ए.आई.सी.)	डॉ एस. प्रसाद, क्षेत्रीय प्रबन्धक, ए.आई.सी, क्षेत्रीय कार्यालय, 56 राजपुर रोड़, क्लासिक होटल के पीछे, देहरादून।	9411393141 0135–2740233 0135–2740244	ro.dehradun@aicofindia.com
2.आई.सी.आई.सी.आई.लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड	क्षेत्रीय प्रबंधक, आई.सी.आई.सी.आई.लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि., द्वितीय तल, 167/1, मोहल्ला आर्य नगर, गुरूकुल, कन्या स्कूल, राजपुर रोड़ देहरादून।	9711733837	arun.pandey@icicilombard.com

3. क्षति का मूल्यांकन/निर्धारण/भुगतान की प्रक्रिया:–

(अ) फसल पैदावार के आधार पर/व्यापक आपदा के मामले में (क्षेत्र आधारित): राज्य सरकार फसल पैदावार के अनुमान के लिये अधिसूचित बीमा एककों में अधिसूचित फसल के लिये फसल कटाई प्रयोगों की अपेक्षित संख्या नियोजित तथा आयोजित करेगी। राज्य सरकार फसल उत्पादन अनुमानों (General Crop Estimation Surveys- GCES) तथा फसल बीमा दोनों के लिये फसल कटाई प्रयोगों तथा परिणामात्मक पैदावार अनुमानों की एकल श्रृंखला तैयार करेगी। फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर प्राप्त वास्तविक उपज़ के आधार पर अन्तिम क्षतिपूर्ति का निर्धारण होगा।

(ब) **फसल की अवधि में नुकसान होने की स्थिति में क्षति का निर्धारण (क्षेत्र आधारित):** फसल की अवधि (Crop Duration) में कोई प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, लम्बी सूखे की दशा, भंयकर सूखा आदि होता है तो सम्भावित क्षतिपूर्ति का 25% तक दावा भुगतान मौसम के दौरान किया जा सकता है यदि संसूचित क्षेत्र में अनुमानित उपज़ थ्रैसहोल्ड उपज़ के 50% से कम है। इस तरह की क्षतिपूर्ति का भुगतान सम्बन्धित राज्य सरकार (राजस्व विभाग एवं कृषि विभाग) एवं बीमा कम्पनी मिलकर सर्वेक्षण कर

निर्धारित करेंगी। इसके अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा नुकसान की प्राथमिक रिपोर्ट (संसूचित क्षेत्र में फसलवार नुकसान का विवरण सहित) शासन को उक्त प्राविधान लागू करने हेतु शासनादेश जारी करने का अनुरोध किया जायेगा। क्षति सम्बन्धी अधिसूचना/शासनादेश जारी होने के पश्चात बीमा कम्पनी, राजस्व विभाग एवं कृषि विभाग क्षेत्र का भ्रमण कर संयुक्त रिपोर्ट तैयार करेंगे जिसके आधार पर सम्बन्धित संसूचित क्षेत्र के कृषकों को सम्भावित क्षतिपूर्ति का 25 प्रतिशत तक का भुगतान क्रियान्वयक अभिकरण द्वारा किया जायेगा। मध्यावधि क्षतिपूर्ति भुगतान राशि, अन्तिम उपज़ आधारित क्षतिपूर्ति राशि के साथ समायोजित की जायेगी। यदि उक्त स्थिति सामान्य फसल कटाई अवधि के 15 दिन के भीतर होती है तो उपरोक्त शर्त लागू नहीं होगी। इस तरह की क्षतिपूर्ति के निर्धारण के लिए मौसम के आंकड़े, उपग्रह चित्रण अथवा अन्य प्रॉक्सी संकेतों आदि को आधार माना जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर मौसम के आंकड़ों के लिए भारत सरकार के मौसम विज्ञान विभाग के उपलब्ध मौसम केन्द्रों से प्राप्त जिलेवार मौसम के आंकड़ों का उपयोग किया जायेगा। इस तरह की क्षतिपूर्ति का निर्धारण योजना के प्राविधान के क्रम में नियमानुसार किया जायेगा।

स) बुवाई नहीं हो पाने की स्थिति/बुवाई का फेल हो जाना (Prevented Sowing/Sowing Failure) **(क्षेत्र आधारित):** अल्पवृष्टि/अतिवृष्टि अथवा अन्य मौसम कारकों के विपरीत प्रभाव के कारण बुवाई न हो पाने की स्थिति में बीमा राशि का अधिकतम 25% तक का दावा भुगतान किया जा सकता है यदि किसी संसूचित क्षेत्र में संसूचित फसल की बुवाई की जाने वाले क्षेत्रफल में से 75 प्रतिशत क्षेत्रफल पर बुवाई नहीं होती है। जनपद में राजस्व विभाग एवं कृषि विभाग के प्राथमिक अधिकारी संसूचित क्षेत्रवार एवं फसलवार बुबाई फेल होने की रिपोर्ट तैयार करेंगे तथा जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराई जायेगी तत्पश्चात शासन द्वारा क्षति सम्बन्धी अधिसूचना के पश्चात योजना के प्राविधान के अनुसार क्षतिपूर्ति का निर्धारण एवं वितरण किया जायेगा। आवश्यकता पड़ने पर मौसम के आंकड़ों के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग के जिलेवार उपलब्ध मौसम केन्द्रों के आंकड़ों का उपयोग किया जायेगा। इस व्यवस्था के अन्तर्गत दावा भुगतान के पश्चात् सम्बन्धित इकाई क्षेत्र में किसान उपज़ आधारित दावा के लिए पात्र नहीं होंगें। उक्त स्थिति यदि 31 जुलाई तक होती है तो उपरोक्त प्राविधान को लागू किया जायेगा। इस तरह की क्षतिपूर्ति का निर्धारण योजना के प्राविधान के क्रम में नियमानुसार किया जायेगा।

(द) स्थानीय आपदाओं के मामले में क्षति का आकलन: स्थानीय जोखिमों यथा ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलप्लावन के मामलों में पृथक आधार (व्यक्तिगत आधार) पर क्षति सम्बन्धी आंकलन किया जायेगा। इन स्थानिक जोखिमों के कारण जिन बीमित किसानों को फसल की हानि होती है, वे वित्तीय संस्था/क्रियान्वयक अभिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय/जिला कृषि विभाग को तत्काल और अनिवार्य रूप से 48 घन्टे के भीतर बीमित फसल के ब्यौरे, क्षति की मात्रा तथा क्षति के कारण सहित सूचित करेंगे। हानि सम्बन्धी सूचना मिलने पर क्रियान्वयक अभिकरण फसल की हानि का अनुमान लगाने के लिए क्षेत्र में हानि निर्धारक/प्रतिनिधि (Technical Personnel of the Company) को भेजेगी। जनपद में राजस्व विभाग एवं कृषि विभाग के प्राथमिक अधिकारी फसल की हानि की मात्रा का अनुमान लगाने में क्रियान्वयक अभिकरण की सहायता करेगा। यदि संबंधित संसूचित क्षेत्र में बीमित क्षेत्रफल का 25 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र संसूचित फसल के अन्तर्गत प्रभावित होता है तो उस संसूचित क्षेत्र के सभी प्रभावित बीमित कृषक वित्तीय सहायता के लिये पात्र माने जायेंगे जिनके द्वारा निश्चित अवधि में फसल नुकसान होने की सूचना दी गयी है। संबंधित संसूचित क्षेत्र में बीमित क्षेत्रफल का 25 प्रतिशत से अधिक क्षेत्रफल प्रभावित हुआ है, के संबंध में निर्धारण कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग की संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर निश्चित किया जायेगा। तत्पश्चात नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। इस परिपेक्ष्य में संयुक्त समिति द्वारा सैम्पल सर्वे करके हानि प्रतिशत का निर्धारण किया जायेगा। इस तरह की क्षतिपूर्ति का निर्धारण योजना के प्राविधान के क्रम में नियमानुसार किया जायेगा।

(य) फसल कटाई के उपरान्त खेत में सुखाने के लिये बिखेर कर रखी हुई फसल में नुकसान होने की स्थिति में क्षति का निर्धारण (Post Harvest Losses)**:** प्राकृतिक आपदायें यथा चक्रवात, चक्रवाती बारिश

तथा बैमौसमी बारिश के मामलों में पृथक आधार (व्यक्तिगत आधार) पर क्षति सम्बन्धी आंकलन किया जायेगा। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसस से क्षति सम्बन्धी आंकलन व्यक्तिगत आधार पर सभी जनपदों में किया जायेगा। इस व्यवस्था के अन्तर्गत, यदि कटी हुई फसल खेत में अधिकतम 14 दिन तक सूखने के लिए बिखेर कर रखी जाती है तथा इस अवधि में उपरोक्त वर्णित कारणों से होने वाली क्षति के मामलों में पृथक आधार (व्यक्तिगत आधार) पर क्षति सम्बन्धी आंकलन किया जायेगा। इन जोखिमों के कारण जिन बीमित किसानों को फसल की हानि होती है, वे वित्तीय संस्था/क्रियान्वयक अभिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय/जिला कृषि विभाग को तत्काल एवं अनिवार्य रूप से 48 घन्टे के भीतर बीमित फसल के ब्यौरे, क्षति की मात्रा तथा क्षति के कारण सहित सूचित करेंगे। हानि सम्बन्धी सूचना मिलने पर क्रियान्वयक अभिकरण फसल की हानि का अनुमान लगाने के लिए क्षेत्र में हानि निर्धारक/प्रतिनिधि को भेजेगी। जनपद में राजस्व विभाग एवं कृषि विभाग के प्राथमिक अधिकारी फसल की हानि की मात्रा का अनुमान लगाने में क्रियान्वयक अभिकरण की सहायता करेगा। यदि संबंधित संसूचित क्षेत्र में बीमित क्षेत्रफल का 25 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र संसूचित फसल के अन्तर्गत प्रभावित होता है तो उस संसूचित क्षेत्र के सभी प्रभावित बीमित कृषक वित्तीय सहायता के लिये पात्र माने जायेंगे जिनके द्वारा निश्चित अवधि में फसल नुकसान होने की सूचना दी गयी है। संबंधित संसूचित क्षेत्र में बीमित क्षेत्रफल का 25 प्रतिशत से अधिक क्षेत्रफल प्रभावित हुआ है, के संबंध में निर्धारण कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग की संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर निश्चित किया जायेगा। जिसके क्रम में जिलाधिकारी द्वारा सूचना जारी की जायेगी तत्पश्चात नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। इस परिपेक्ष्य में संयुक्त समिति द्वारा सैम्पल सर्वे करके हानि प्रतिशत का निर्धारण किया जायेगा। इस तरह की क्षतिपूर्ति का निर्धारण योजना के प्राविधान के क्रम में नियमानुसार किया जायेगा।

4. क्रियान्वयन अभिकरणों से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त होने के पश्चात वित्तीय संस्थानों द्वारा एक सप्ताह के अन्दर सम्बन्धित धनराशि कृषकों के खातों में क्रेडिट करते हुए लाभान्वित कृषकों की सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी तथा जिसकी एक प्रति उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ 15 दिनों के अन्दर हार्ड एव सॉफ्ट कॉपी में बीमा कम्पनी को प्रेषित करेगे।
5. वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रेषित कुल प्रीमियम (Farmer's Share) पर 4.0% की दर से सेवा शुल्क का भुगतान किया जायेगा।
6. जिलाधिकारी राजस्व विभाग के प्राथमिक कर्मचारियों के माध्यम से क्राप–कटिंग के प्रयोगों को सफलतापूर्वक सम्पन्न करायेंगे तथा इस संदर्भ में जिला स्तर पर क्राप–कटिंग की समय समय पर समीक्षा भी करेंगे। संसूचित फसल के समस्त क्राप कटिंग प्रयोगों का डाटा पूर्व निर्धारित रूपपत्रों पर कृषि निदेशालय को प्रेषित करने के साथ–साथ अनिवार्य रूप से "CCE-Agri" App के माध्यम से भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
7. खरीफ 2018 में कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा संसूचित फसल (चावल तथा मण्डुवा) के क्राप कटिंग पर आधारित उत्पादकता के आंकड़े क्रियान्वयक अभिकरण को 15 जनवरी, 2019 तक उपलब्ध कराये जायेंगे।
8. भारत सरकार के पत्रांक 11018/01/2015 क्रेडिट II दिनांक 06 मार्च 2017 द्वारा डायरेक्ट वेनेफिट ट्रांसफर के संबंध में भारत सरकार के असाधारण राजपत्र अधिसूचना 08 फरवरी, 2017 के अनुसार योजना में आच्छादित होने वाले समस्त कृषकों को आधार नम्बर फसली ऋण बैंक खाते में लिंक करना अनिवार्य होगा, के क्रम में एस.एल.बी.सी. समस्त बैंकों को बीमित कृषकों को आधार नम्बर से लिंक करने व डाटा आनलाइन करने हेतु निर्देश जारी करेंगे। सभी बीमित कृषकों का आधार नम्बर अनिवार्य है।
9. भारतीय रिज़र्व बैंक/नाबार्ड द्वारा योजना के संबंध में जारी दिशा–निर्देश के क्रम में इस योजनान्तर्गत वित्तीय संस्थाओं द्वारा अधिसूचित फसलों हेतु ऋण लेने वाले समस्त कृषकों को अनिवार्य रूप से आच्छादित किया जायेगा। अतः वित्तीय संस्थाओं द्वारा उक्त दिशा निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10. राज्य सरकार एवं क्रियान्वयक अभिकरण द्वारा अधिसूचना से संबंधित सभी सूचनायें www.pmfby.gov.in/ www.agri-insurance.gov.in में निश्चित समयावधि में अपलोड किया जायेगा।

11. क्रियान्वयक अभिकरण के प्रतिनिधियों को फसल कटाई प्रयोगों में सहभागिता एवं इस तरह के प्रयोगों के स्थलीय निरीक्षण तथा प्रारूपों को देखने हेतु अनुमति होगी। इस संबंध में जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा एक सप्ताह पूर्व संसूचित फसलों के क्राप कटिंग प्रयोगों की संभावित तिथियों की सूचना क्रियान्वयक अभिकरण एवं कृषि निदेशालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

12. योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु कियान्वयन अभिकरण द्वारा समस्त जनपदों के बैंकों में रैण्डम आधार पर फसल ऋण वितरण, बीमा आच्छादन, बीमित राशि, प्रीमियम की धनराशि एवं क्षतिपूर्ति वितरण के संबंध में सत्यापन कार्य करेगी तथा सूचना कृषि निदेशालय/शासन को प्रेषित करेगी। इसके साथ ही प्रत्येक माह संसूचित क्षेत्रवार बीमित कृषकों का विवरण बीमित धनराशि आदि की सूचना निर्धारित रूपपत्रों पर कृषि निदेशक, मुख्य कृषि अधिकारी को उपलब्ध करायेगी।

13. राज्य में जिलेवार उपलब्ध भारतीय मौसम विभाग के मौसम केन्द्र/कृषि संस्थानों एवं अन्य सरकारी विभाग के मौसम केन्द्र जिनके आंकड़े (प्राथमिक तौर पर वर्षा के आंकड़े) Mid Season Advesity एवं Sowing Failure के परिपेक्ष्य में क्षतिपूर्ति निर्धारण करने के लिए प्रॉक्सी इन्डीकेटर के रूप में उपयोग किये जायेंगे। यदि सन्दर्भित मौसम केन्द्रो से आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पाते है तो बैक–अप मौसम केन्द्रो के आंकड़ो का उपयोग किया जायेगा। किन्हीं कारणवश यदि बैकअप मौसम केन्द्र के आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो अन्य नज़दीकि मौसम केन्द्र के आंकड़े कृषि विभाग की सहमति से उपयोग में लाये जायेंगे। सन्दर्भित मौसम केन्द्र तथा बैक–अप मौसम केन्द्र क्रमशः जनपद अल्मोड़ा के लिए– आई.एम.डी.ए.डब्लू. एस. मटेला, वी.पी.के.ए.स. हवालबाग, जनपद बागेश्वर के लिए– आई.एम.डी.ए.डब्लू.एस. कपकोट, वी.पी.के. ए.स. हवालबाग, जनपद पिथौरागढ़ के लिए– आई.एम.डी.ए.डब्लू.एस. पिथौरागढ़, आई.एम.डी.ए.डब्लू.एस. मुनस्यारी, जनपद चम्पावत के लिए– आई.एम.डी.ए.डब्लू.एस. चम्पावत, आई.एम.डी.ए.डब्लू.एस. पिथौरागढ़, जनपद नैनीताल पर्वतीय के लिए– आई.एम.डी. मुक्तेश्वर, आई.एम.डी.ए.डब्लू.एस. नैनीताल, नैनीताल मैदानी के लिए– आई.एम.डी. पंतनगर, आई.एम.डी.ए.डब्लू.एस. रूद्रपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर के लिए– आई.एम.डी.ए.डब्लू.एस. रूद्रपुर, आई.एम.डी. पंतनगर, जनपद देहरादून पर्वतीय के लिए आई.एम.डी.ए.डब्लू. एस. त्यूनी, आई.एम.डी.ए.डब्लू.एस. पुरोला, जनपद देहरादून मैदानी के लिए– आई.एम.डी.ए.डब्लू.एस. जौलीग्रान्ट, आई.एम.डी. देहरादून, जनपद हरिद्वार के लिए– आई.एम.डी.ए.डब्लू.एस. रूड़की, आई.एम.डी. ए.डब्लू.एस. धनौरी, पौड़ी गढ़वाल के लिए– आई.एम.डी.ए.डब्लू.एस. भरसार, आई.एम.डी.ए.डब्लू.एस. रूद्रप्रयाग, जनपद रूद्रप्रयाग के लिए– आई.एम.डी.ए.डब्लू.एस. रूद्रप्रयाग, आई.एम.डी.ए.डब्लू.एस. भरसार, जनपद चमोली के लिए– आई.एम.डी.ए.डब्लू.एस. चमोली, आई.एम.डी.ए.डब्लू.एस. जोशीमठ, जनपद टिहरी गढ़वाल के लिए– आई.एम.डी. न्यू टिहरी, आई.एम.डी.ए.डब्लू.एस. रानीचौरी तथा जनपद उत्तरकाशी के लिए– आई.एम.डी.ए.डब्लू.एस. उत्तरकाशी, आई.एम.डी.ए.डब्लू.एस. पुरोला हैं।

परिशिष्ट–1

उत्तराखण्ड के पर्वतीय जनपदों में खरीफ 2018 में फसल चावल (पर्वतीय) हेतु संसूचित क्षेत्र।

क्र.सं.	जनपद	क्र.सं.	तहसील
1	चमोली	1	चमोली + जोशीमठ
		2	पोखरी+घाट+जिलासू
		3	कर्णप्रयाग
		4	थराली+नारायणबगढ़+देवाल (उपतह0)
		5	गैरसैंण+आदिबद्री
2	देहरादून (पर्व0)	1	त्यूणी+ चकराता
		2	कालसी
3	पौड़ी गढ़वाल	1	पौड़ी + श्रीनगर
		2	थलीसैंण+चाकीसैण
		3	लैंसडौन
		4	सतपुली+चौबट्टाखाल
		5	धुमाकोट
		6	कोटद्वार
		7	यमकेश्वर
4	रूद्रप्रयाग	1	ऊखीमठ+बसुकेदार
		2	जखोली
		3	रूद्रप्रयाग
5	टिहरी गढ़वाल	1.	नरेन्द्रनगर +पावकी देवी (उपतह0)
		2	गज़ा
		3	टिहरी+काण्डीसौड़
		4	घनसाली+बालगंगा
		5	जाखणीधार
		6	धनोल्टी+नैनबाग
		7	देवप्रयाग+कीर्तिनगर
		8	प्रतापनगर
6	उत्तरकाशी	1	भटवाड़ी+जोशियाड़ा (उपतह0)
		2	डुण्डा
		3	चिन्यालीसौड़+धौंतरी (उपतह0)
		4	बड़कोट
		5	पुरोला+मोरी

परिशिष्ट–1

उत्तराखण्ड के पर्वतीय जनपदों में खरीफ 2018 में फसल चावल (पर्वतीय) हेतु संसूचित क्षेत्र।

क्र.सं.	जनपद	क्र.सं.	तहसील
7	अल्मोड़ा	1	अल्मोड़ा
		2	सोमेश्वर +धौलछीना
		3	स्याल्दे
		4	भिकियासैण +सल्ट खुमाड़ +मछोड़ (उपतह0)
		5	भनोली
		6	जैंती+लमगड़ा (उपतह0)
		7	रानीखेत
		8	चौखुटिया
		9	द्वारहाट+ जालली (उपतह0)+ बग्वालीपोखर (उपतह0)
8	बागेश्वर	1	बागेश्वर+दुकनाकुरी
		2	गरूड़+काफलीगैर
		3	कपकोट+काण्डा+शामा (उपतह0)
9	चम्पावत	1	चम्पावत+पूर्णागिरी+मंच (उपतह0)
		2	लोहाघाट + पुल्लागुमदेश (उपतह0)
		3	पाटी+बाराकोट
10	नैनीताल(पर्व0)	1	नैनीताल
		2	धारी
		3	बेतालघाट+कोश्याकुटोली
11	पिथौरागढ़	1	पिथौरागढ़
		2	गंगोलीहाट+गणाईगंगोली
		3	डीडीहाट
		4	कनालीछीना+देवलथल
		5	मुनस्यारी+बंगापानी
		6	धारचूला+बेरीनाग+थल +पांखू (उपतह0)

परिशिष्ट–1

उत्तराखण्ड के मैदानी जनपदों में खरीफ 2018 में फसल– चावल (मैदानी) हेतु संसूचित क्षेत्र।

क्र.सं.	जनपद	क्र.सं.	संसूचित न्यायपंचायत
1	देहरादून (मैदानी)	1	मियांवाला + मारखमग्रान्ट
		2	रायपुर + गुजराड़ामान सिंह
		3	अजबपुर खुर्द + सेवलाकलां
		4	भगवन्तपुर + पण्डितवाडी
		5	एनफील्ड ग्रान्ट
		6	धर्मावाला + सभावाला
		7	सोरना + लांघा
		8	भाऊवाला + सहसपुर
		9	झाझरा + आमवाला
		10	भनियावाला + श्यामपुर
		11	रानीपोखरी ग्रान्ट
		12	थानो + सरौना
2	हरिद्वार	1	भौरी + दौलतपुर
		2	खाताखेडी + नन्हेडा अनन्तपुर
		3	बेलडा + खजरपुर
		4	ताशीपुर + पनियाला चन्दापुर
		5	ईमलीखेडा धर्मपूर
		6	भगवानपुर
		7	अकौढा औरगजेबपुर
		8	मुन्डाखेडाकला
		9	भीकमपुर जीतपुर + रायसी
		10	सुल्तानपुर आदमपुर
		11	निरंजनपुर
		12	बहादुरपुरखादर
		13	मौ.पुर बुजुर्ग
		14	खानपुर + पोडोवाली
		15	गोरधनपुर
		16	लिबरहेडी
		17	मुन्डलाना
		18	ढन्ढेरा
		19	गाधोरोना
		20	लाठरदेवाहूण + मख्दूमपुर
		21	मौ0पुर जट + कल्याणपुर उर्फ नारसनकला
		22	कोटामुरादनगर + औरंगाबाद
		23	रणसुरा
		24	जमालपुरकला
		25	सलेमपुरमहदूद + बहादराबाद
		26	बादशाहपुर
क्र.सं.	**संसूचित न्यायपंचायत**		

	हरिद्वार	27	फेरूपुर रामखेडा
		28	लालढाग
		29	चूडियाला मोहनपुर
		30	भलस्वागाज
		31	डाडाजलापुर + हबीबपुरनबादा
		32	सिकन्दरपुर भैंसवाला + चौली शाहबुदीनपुर
		33	खेडीसिकोहपुर + नौकराग्रान्ट
3	नैनीताल (मैदानी)	1	कालाढूंगी
		2	बैलपडाव
		3	गिन्तिगांव
		4	बमौरी
		5	कुवंरपुर
		6	लाखनमण्डी
		7	हरीपुर बची
		8	देवलचौड
		9	गुनीपुर जीवानन्द
		10	छोई
		11	चिल्किया
		12	सांवल्दे
		13	जोगीपुरा
4	उधमसिहंनगर	1	खेतलसंडाखाम
		2	बन्डिया
		3	झनकट
		4	दिगराबाग
		5	सिसौना
		6	कल्यानपुर
		7	नानकमत्ता
		8	बिरिया
		9	बिगवाडा + नारायणपुर
		10	दरऊ + बण्डिया
		11	बरा
		12	आनन्दखेडा
		13	बराखेडा
		14	गोबिन्दपुर
		15	सरकडी + सरकडा
		16	बरहनी
		17	चकरपुर
		18	कुण्डेश्वरी
		19	खडकपुर
		20	बांसखेडा
		21	पूरनपुर
		22	मेघावाला
		23	अहमदनगर
		24	भरतपुर

परिशिष्ट–2

उत्तराखण्ड के पर्वतीय जनपदों में खरीफ 2018 में फसल मण्डुवा हेतु संसूचित क्षेत्र।

क्र.सं.	जनपद	क्र.सं.	तहसील
1	चमोली	1	चमोली+जोशीमठ+पोखरी+घाट+ जिलासू
		2	कर्णप्रयाग+गैरसैंण+आदिबद्री
		3	थराली + नारायणबगढ़+देवाल (उपतह0)
2	देहरादून (पर्व0)	1	त्यूणी+ चकराता
		2	कालसी
3	पौड़ी गढ़वाल	1	पौड़ी + श्रीनगर
		2	थलीसैंण+चाकीसैण
		3	लैंसडौन
		4	सतपुली+चौबट्टाखाल
		5	धुमाकोट
		6	कोटद्वार
		7	यमकेश्वर
4	रूद्रप्रयाग	1	ऊखीमठ+बसुकेदार
		2	जखोली
		3	रूद्रप्रयाग
5	टिहरी गढ़वाल	1	नरेन्द्रनगर+गज़ा +पावकी देवी (उपतह0)
		2	घनसाली+बालगंगा
		3	जाखणीधार
		4	धनोल्टी+नैनबाग
		5	टिहरी+काण्डीसौड़
		6	देवप्रयाग+कीर्तिनगर
		7	प्रतापनगर
6	उत्तरकाशी	1	भटवाड़ी+जोशियाड़ा (उपतह0)
		2	डुण्डा
		3	चिन्यालीसौड़+धौंतरी (उपतह0)
		4	बड़कोट
		5	पुरोला+मोरी

परिशिष्ट–2

उत्तराखण्ड के पर्वतीय जनपदों में खरीफ 2018 में फसल मण्डुवा हेतु संसूचित क्षेत्र।

क्र.सं.	जनपद	क्र.सं.	तहसील
7	अल्मोड़ा	1	अल्मोड़ा + सोमेश्वर + धौलछीना
		2	रानीखेत + द्वाराहाट + चौखुटिया
		3	भिकियासैण + स्याल्दे
		4	सल्ट खुमाड़ + मछोड़ (उपतह0)
		5	जैंती + भनोली + लमगड़ा (उपतह0)
8	बागेश्वर	1	बागेश्वर+गरूड़+काफलीगैर+दुकनाकुरी
		2	कपकोट+काण्डा+शामा (उपतह0)
9	चम्पावत	1	चम्पावत+पूर्णागिरी+मंच(उपतह0) + पुल्लागुमदेश (उपतह0)
		2	लोहाघाट+पाटी+बाराकोट
10	नैनीताल(पर्व0)	1	नैनीताल
		2	धारी
		3	बेतालघाट+कोश्याकुटोली
11	पिथौरागढ़	1	पिथौरागढ़
		2	गंगोलीहाट+गणाईगंगोली
		3	डीडीहाट+कनालीछीना+देवलथल
		4	मुनस्यारी+बंगापानी
		5	धारचूला+बेरीनाग+थल+पांखू (उपतह0)